

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव
30प्र0 शासना।

286

Budget-37
CA/MT-II-18/10
11-10

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2015

विषय:-शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1522/76/एक/2013-14 दिनांक 15 जुलाई, 2015 व संख्या-1635/76/एक/2013-14 दिनांक 22 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-हरदोई की निकाय शाहाबाद की 33 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1992/69-1-13-37(आसरा-37)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा रु0 98.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 49.46 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि रु0 49.46 लाख (रुपये उनचास लाख छियालिस हजार मात्र) की द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हरदोई/शाहाबाद	48	143.89	33	98.92	49.46
योग				33	98.92	49.46

(रुपये उनचास लाख छियालिस हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी)दिनांक 09 सितम्बर,2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजका पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अधीनस्थ/अधीनस्थ

14/8/15
bkm

(3/2/15)

14/8/15

3. प्रायोजन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मातापिता के समायोजकानुसंग स्थानीय विद्यालय प्रायोजन/सहाय लोकल प्राथमिकी से स्वीकृत कराया जायेगा साथ ही नियमानुसार सम्बन्ध आवश्यक वैधानिक उपकरणों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही विमान कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उचित धनराशि शासन/प्रायोजन एकाई एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपयुक्तानुसार निर्दिष्ट मद में व्यय की जायेगी; योजनाकारित परियोजना में मानकीकृत होशमल, मानकीकृत एवं साथ में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमोदित नहीं होगा।
5. प्रत्येक योजना के लिए कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उक्त व्यय प्रत्येक दश में उचित कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/आवकियों का क्रय वित्तीय विभागों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण सुगमता से सफलता से साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का वारंट परियोजना अनुमोदित नहीं होगा।
6. राष्ट्रीय विकास परिषद स्वीकृत किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रही इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उक्त कार्य के धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उचित स्वीकृत धनराशि अर्थात् परिचय के अन्तर्गत होने एवं कार्य को निर्देशित/पुनर्भूत में हो इसे सुझा/दूध द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रत्येक कार्य एक सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसपास योजनाकारित उक्त कार्य के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही उपकरण बनाये जाए व व्यय वित्त संश्लेषण में सुनिश्चित शर्तों पर अनुमोदित सुनिश्चित करेगा।
8. उचित धनराशि के अभाव में कार्य/मद के प्रारम्भ के उपरान्त राज्य नगरीय विकास अधिकरण व सम्बन्धित दूध द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियादों एवं सहाय स्तरीय निगरान करवाकर सुगमता आदि विन्दुओं का उचित पर्याप्तिकृत योजना निर्देशों के अनुमोदित पर आधारित रूप, उचित स्थानीय प्रशासनिक कार्य/मद से निर्माण कार्य को प्रारम्भ करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी परियोजना पर उपरान्त हो लेंगे।
9. उचित धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उपाय, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित समिति उपरान्त विचार करे, सम्बन्धित विभाग एवं जारी अनुमोदित कार्य/मद विभाग के अधिकार/प्रदाताओं किया जायेगा।
10. उक्त कार्य/मद की सुविधा परियोजना (सामग्री/मद), सामग्री/मद (मद), उपाय, इत्यादि को अन्तर्गत की गयी है साथ ही उक्त कार्य/मद, उपाय, इत्यादि को अन्तर्गत की गयी है साथ ही उक्त कार्य/मद के अन्तर्गत उपरान्त, उपाय, इत्यादि।
11. उचित धनराशि के अभाव में कार्य/मद के प्रारम्भ के उपरान्त राज्य नगरीय विकास अधिकरण व सम्बन्धित दूध द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियादों एवं सहाय स्तरीय निगरान करवाकर सुगमता आदि विन्दुओं का उचित पर्याप्तिकृत योजना निर्देशों के अनुमोदित पर आधारित रूप, उचित स्थानीय प्रशासनिक कार्य/मद से निर्माण कार्य को प्रारम्भ करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी परियोजना पर उपरान्त हो लेंगे।
12. उचित धनराशि का उपरोक्त कार्य/मद में तथा कलेक्टर अन्तर्गत कार्य/मद किया जायेगा तथा उचित धनराशि के अभाव में कार्य/मद के प्रारम्भ के उपरान्त राज्य नगरीय विकास अधिकरण व सम्बन्धित दूध द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियादों एवं सहाय स्तरीय निगरान करवाकर सुगमता आदि विन्दुओं का उचित पर्याप्तिकृत योजना निर्देशों के अनुमोदित पर आधारित रूप, उचित स्थानीय प्रशासनिक कार्य/मद से निर्माण कार्य को प्रारम्भ करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी परियोजना पर उपरान्त हो लेंगे।
13. निदेशक/समिति, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उपाय, लखनऊ आहरण की पर्याप्त पर अपने लेखों का अन्तर्गत महालेखाकार के कार्यलय के लेखों से अवश्य करायेगा।

14. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एमओओयू) लिखादिता किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास 800 अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-राज्य पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।


भवदीय

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-749/2015/1803(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हरदोई।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एचओपीओ सिंह)
विशेष सचिव।